



मुख्यालय / HEADQUARTERS  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
पंचदीप भवन / PANCHDEEP BHAWAN  
सी. आई. जी. मार्ग / C.I.G. ROAD, नई दिल्ली / NEW DELHI - 110002

सं. ए-33/11/2/2009-स्था.-I

दिनांक: 15.04.2019

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त (राजस्व), मुख्यालय, नई दिल्ली।
2. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक (प्रभारी)/संयुक्त निदेशक (प्रभारी)/उप निदेशक (प्रभारी)/अपर आयुक्त, स्था.5, मुख्यालय, नई दिल्ली।
3. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/निदेशक (चिकित्सा) नोएडा।
4. बीमा आयुक्त (रा.प्र.अकादमी), राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल एवं क.रा.बी.निगम अस्पताल एवं क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
6. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय।
7. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस आदेश को क.रा.बी.निगम की वेबसाइटपर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विषय: समूह 'क' तथा 'ख' अधिकारियों के लिए वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट।

महोदय/महोदया,

क.रा.बी.निगम वर्ष 2018-19 से 'स्पैरो' (स्मार्ट कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) कार्यान्वित कर रहा है। शुरुआत में, आवेदन समूह 'क' तथा 'ख' अधिकारियों के लिए लागू होंगे।


लॉग इन : <https://sparrow.esic.eoffice.gov.in>

यूजर आइडी तथा पासवर्ड एनआइसी ईमेल के समान ही होंगे।

सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपना स्व-मूल्यांकन केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। लॉग इन दिनांक 18.04.2019 से उपलब्ध होगा। वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सीमा मैनुअल वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के समान ही रहेगी। स्व-मूल्यांकन दिनांक 30.04.2019 तक उपलब्ध हो जाएं। यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर पूर्ण रिपोर्टिंग/समीक्षा करने के लिए रिपोर्टिंग तथा समीक्षा अधिकारियों की मैपिंग ठीक ढंग से की गई हो।

कार्यप्रवाह तथा प्रक्रिया का ब्यौरा देते हुए 'स्पैरो' की नियम पुस्तक हेतु लिंक सभी क्षेत्रीय निदेशकों/ चिकित्सा अधीक्षकों/संयुक्त निदेशक (प्रभारी)/उप निदेशक (प्रभारी) आदि को दिया जा चुका है जिसे सभी संबंधित अधिकारियों के साथ साझा (शेयर) किया जा सकता है।

यह अपर आयुक्त (का. एवं प्रशा.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(के. जी. सुरेश)  
संयुक्त निदेशक